देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 16 अंकः 210 पृष्ठ : 8 मूल्यः एक रूपए

पेज थ्री

देहरादून, बुधवार, 24 नवंबर 2021

विचार-प्रवाह...तारीख पर तारीख

मौसम अधिकतम 22.0° न्यूनतम 13.0° | 39243.39

2 ऑस्ट्रेलिया में बंद हो रहे कोयला प्लांट
7 केएल राहुल चोटिल, पहले टेस्ट से बाहर

लोन के लिए अनावश्यक आपत्ति पर हो सख्त कार्रवाई

15 दिसम्बर 2021 तक स्वरोजगार योजनाओं के तहत लोन के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जाय:सीएम

- डीएम प्रत्येक सप्ताह विभिन्न योजनाओं के तहत दिये जाने वाले लोन की समीक्षा करें
- जिला स्तरीय अधिकारियों एवं बैंकर्स द्वारा कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जाए
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक ली

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को 15 दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाय। संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स आपसी समन्वय स्थापित कर हर हाल में लक्ष्य पूर्ण करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिये जा रहे हैं, उनकी प्रत्येक सप्ताह प्रगति समीक्षा की जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिये जा रहे हैं, उनकी आम जन को जानकारी हो। इसके लिए जिलाधिकारियों एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा अभियान चलाया जाय। एक ही जगह पर लोगों की लोन की समस्या का समाधान हो, जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी कैंपों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बढ़ाये गये लक्ष्य को भी समय पर पूर्ण कर लें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन स्वीकृति की स्थिति पर निगरानी के लिए जिलाधिकारी निरन्तर बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम स्टे, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एन.यू.एल.एम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम, स्टैण्ड अप इण्डिया, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, एस. ए. मुरूगेशन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से सभी डीएम एवं बैंकर्स उपस्थित थे।

सप्ताह के अन्दर लोन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाए

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 दिसम्बर 2021 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के साथ ही जिन योजनाओं में अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लक्ष्य से अधिक लोन स्वीकृत करने के लिए प्रयास किये जाए। अनावश्यक आपत्तियां लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाय। बैंकों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिले। अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े।

संक्षिप्त समाचार

भारत में 543 दिन में सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में दिन पर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। दो दिन में तो संक्रमण के मामले 10 हजार से भी नीचे दर्ज किए गए हैं। हालांकि दुनियाभर के कई देशों में इस जानलेवा वायरस ने कहर मचाया हुआ है। वहीं, भारत में स्थिति काफी बेहतर होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के साढ़े सात हजार मामले सामने आए हैं जो 543 दिन में सबसे कम हैं।

चचाजान और अब्बाजान को चेतावनी, बरसे सीएम योगी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कानपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सीएए के नाम पर फिर से दंगा भड़काने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि चचाजान और अब्बाजान के अनुयायी सुन लें अगर माहौल खराब हुआ तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी।

अब जनता से पूछें कहां बने उपराष्ट्रपति और पीएम आवास

सेंट्रल विस्टा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में प्रोजेक्ट के तहत बन रहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को वहां से हटाकर दूसरी जगह बनाने की मांग की गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव समेत अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं।

शीर्ष अदालत राजीव सूरी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि प्लाट नंबर एक का इस्तेमाल रिक्रिएशनल सुविधाओं के लिए होना था, लेकिन इसका इस्तेमाल आवासीय के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाई जा रही है, बल्कि उपराष्ट्रपति का आवास बनाया जा रहा है। लिहाजा चारों और हरियाली होना तय है। योजना को अधिकारियों द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। आप उस प्रक्रिया में दुर्भावना का आरोप नहीं लगा रहे हैं।

याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

याचिका में दावा किया गया था कि सेंट्रल विस्टा के जरिए इस क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि क्या अब आम आदमी से पूछकर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहिए।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है। हर चीज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का आवास कहीं और कैसे हो सकता है? उस जमीन का इस्तेमाल हमेशा से सरकारी कामों के लिए होता रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक बार मनोरंजन क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध होने के बाद इसे कभी नहीं बदला जा सकता है? भले ही कभी इसे मनोरंजन क्षेत्र के रूप में नामित किया गया हो। क्या अधिकारी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इसे संशोधित नहीं कर सकते हैं?

तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी के लिए तारीख तय!

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब इस पर चर्चा करने के लिए संसद के आगामी सत्र की तारीख तय हो गई है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि कृषि मंत्रालय संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए तारीखों पर विचार कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी के लिए विचार कर सकता है। संसद में तीन कृषि कानूनों को कब निरस्त किए जाने के सवाल पर जोशी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है और यह तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। जब यह संसद में आता है, हम देखेंगे कि इसे कब वापस लिया जा सकता है।

चर्चा

- संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों पर होगी चर्चा

उन्होंने बताया कि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। पीएम ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। केंद्र द्वारा 2020 में कानून पारित किए जाने के बाद से किसान सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

मनीष तिवारी का मनमोहन सरकार पर अटैक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आनंद पुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के दौरान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार का आलोचना की है। तिवारी ने लिखा है कि 26द्11 हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी थी।

पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी

इस बीच, बीजेपी ने तिवारी की किताब को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस किताब से यह साबित हो गया है कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भारत की अखंडता को लेकर कोई चिंता नहीं थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सारा देश कांग्रेस सरकार की इस सच्चाई को जानता था।

बीजेपी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय उस समय की कांग्रेस सरकार बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हुए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को साबित करने में जुटी हुई थी।